

04 $\frac{01}{22}$

पत्रावली पेश हुई...
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
03/02/2022 को पेश की जावे।

03 $\frac{02}{2022}$

पत्रावली पेश हुई...
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
03/03/22 को पेश की जावे।

03 $\frac{03}{2022}$

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उमय पक्ष उपस्थित।
अध्यापीगण के जवाब अज्ञात अधिवक्ता अध्यापी
द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर मिला जा
दिया जाता है पत्रावली अज्ञात जवाब अध्यापी
दिनांक 28/03/2022 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

28 $\frac{03}{2022}$

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उमय पक्ष उपस्थित।
वकील अध्यापीगण द्वारा प्रापक के जवाब दे
ने के लिए उर सिधे कहस करने का निर्देश
किया जिन पर वकील अध्यापी ने सहमति व्यक्त
की। उमय पक्ष द्वारा प्रापक द्वारा 212 पर
कहस की। उमय पक्ष की कहस सुनी। पत्रावली
में शामिल दस्तावेजों व प्रापक के अतिरिक्त तथ्यों
को ध्यान में रखते हुए गहनता से मनन किया गया।
अध्यापी के प्रापक द्वारा 212 के स्कीनार मध्य
पीपि और से स्कीनार किया जाता है प्रापक
का निर्णय प्रपक से विरवाया जानने के लिए न्यायालय
की अजलास में सुनाया गया। पत्रावली पेश की
सुमार लेजर नम्बर से फम की गलत शामिल
दफतर है।

S.S.O.